THE RESEARCH DIALOGUE
An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
© The Research Dialogue | Volume-05 | Issue-01 | April-2026
Available online at: https://theresearchdialogue.com/
DOI : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i1.39

अनुसूचित जाति की महिलाओं के शैक्षिक अवसरो को प्रभावित करने वाले समाजिक कारक

रजनी सिंह[1], प्रो0 संदीप कुमार श्रीवास्तव[2]
[1]शोध छात्रा डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, आयोध्या (उ0प्र0)
[2]मार्गदर्शक, शिक्षा संकाय श्री लाल बहादुर शस्त्री डिग्री कॉलेज, गोंण्डा (उ0प्र0)

प्रस्तावन –

भारतीय सभ्यता संस्कृति और परम्परा में नारियों को सदैव ही सम्मानजनक स्थान दिया जाता था। उन्हें सहचरी कहकर पुकारा जाता था। नारियों के लिय यह भी वर्जित है कि–

''यंत्रनार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तंत्र देवता''

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में भी वर्ग भेद और लिंग भेद को समाप्त कर सभी को समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। परन्तु इसके बावजूद भी रूढिवादी कारणों से समाज मे जातिगत भेदभाव जकडा हुआ है। भारत की कठोर जाति व्यवस्था के अन्तर्गत ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले अनुसूचित जाति(sc) समुदाय की महिलाओं को आज भी गंभीर सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड रहा है। संवैधानिक सुरक्षा उपायो के बावजूद भेदभाव गरीबी और शिक्षा एवं न्याय तक सीमित पहुँच जैसी समस्याए बनी हुई है। अनुसूचित जाति की महिलाओं मे शिक्षा सम्बधी असमानताएँ बनी हुई है। जिनमे कम नमांकन दर उच्च ड्राप–आउट दर और गुणवतापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सीमित है।

जतिवाद जाति व्यवस्था से सम्बधित एक प्रमुख समाजिक समस्या है। जातिवाद की भावना व्यक्ति– व्यक्ति के बीच घृणा, द्वेष, एवं प्रतिस्पर्द्धा को जन्म देती है। जातिवाद की भावना के विकसित होने से व्यक्ति अपनी ही जाति के सदस्यों के हित को सर्वोपरि समझता है। देश या समाज का हित उसके लिए नगण्य हो जाता है।

अनुसूचित जाति की बालिकायें शिक्षा के मामले मे अपने वर्ग के बालकों एवं समान्य वर्ग की बालिकाओं से बहुत पीछे है। शिक्षा मे इस बात का महत्व कि बालिकाओं का कितना अनुपात पढाई पूरी किये बगैर स्कूल छोडकर घर बैठ जाती है। शिक्षा के सभी स्तरो पर दलित महिलाओं की ड्राप–आउट दर सामान्य जनसंख्या के अनुपात मे बहुत ज्यादा है। सामान्य जनसंख्या के सापेक्ष अनुसूचित जाति की महिलाओं का ड्रप–आउट अन्तर बहुत ज्यादा है। उच्च शिक्षा में भी अनुसूचित जाति की महिलाओं का अनुपात सामान्य वर्ग की बालिकाओं की तुलना में बहुत पीछे है। उच्च शिक्षा मे सफल

नामांकन दर 13.08% है, जबकि अनुसूचित जाति की बालिकाओं की दर 1.8% है। दलित समुदाय में बालिक शिक्षा की स्थिति बहुत बरी है। भारत में दलित बालिकाओं के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना जहाँ जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था एवं सामाजिक श्रेष्ठताओं का बोलबाला हो, एक बहुत बडी चुनौती है।

दलित बालिकाओं का स्कूल में नामांकन करवाना ही हमारा उद्देश्य नही होना चाहिए। बल्कि उनकी पढाई को पूरा करवाने के लिए भी कोई उपाय हमारे पास होना चाहिए। अपरिवर्तित सामाजिक मूल्यों के चलते शिक्षा से अनुसूचित जाति की महिलाओं का जुडाव नगण्य जैसा है। अनुसूचित जाति की महिलाओं में आत्मविश्वास अपने अधिकारो के बारे मे जागरूकता,एवं अन्याय से लडने की शक्ति शिक्षा से प्राप्त होती है। दलित महिलाओं से शिक्षा में असमानता का व्यवहार, सामाजिक अस्पृश्यता मानसिक एवं सामाजिक प्रताडना शारीरिक प्रताडना समाज परिवार एवं तंत्र द्वारा किया जाना सर्वविदित है। सबसे बडी विडम्बना यह है कि सारी घटनाएँ जनप्रतिनिधियों शिक्षको एवं जिम्मेदार लोगों के संज्ञान में होती है। आज आवश्यकता है कि समाज तंत्र और प्रतिनिधियों इन दलित सपनो के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो।

संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार–

राज्य विशेष सावधानी के साथ समाज के कमजोर वर्गो विशेषकर अनुसूचित जाति के शैक्षिक एवं आर्थिक हितो के उन्नयन को बढावा देगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के सामाजिक शोषण से उनकी रक्षा करेगा।

अनुच्छेद 330,332,335,338, से 342 तथा संविधान के 5वीं और 6वीं अनुसूचित अनुच्छेद 46 मे दिए गए लक्ष्य हेतु विशेष प्रावधानो के सम्बध मे कार्य करते है।

समाज के कमजोर वर्ग के लाभार्थी द्वारा इन प्रावधानो का पूर्ण उपयोग किये जाने की आवश्यकता है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के शैक्षणिक आधार को सुदृढ करने के लिए कई कदम उठाए है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं कार्ययोजना (पी0ओ0ए0) 1992 के अनुपालन में अनुसूचित जाति के लिए प्राथमिक शिक्षा साक्षरता माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग की वर्तमान योजनाओं में विरोध प्रावधान किए गए है।

संकल्प–

1. 2006 मे शिक्षा के अधिकार अधिनियम में वर्नर मनोज ने सुझाव दिया कि दलित बालिकाओं के स्कूल में नामांकन एवं स्थिर रहवास के लिए सभी बाधाओं को हटाने का संकल्प होना चाहिए।

2. 2007 ISDN ने भी सरकार को सुझाव दिया है कि UN ड्रफ्ट के नियमानुसार अनुसूचित जाति की बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ढाँचा तैयार किया जाना चाहिए।

3. 2008 UN फोरम ऑफ मायनॉरिटीज इश्यूज की बैठक 2008 में बांग्लादेश में हुई थी। जिसमे दलित बालिकाओं की शिक्षा से पलायन एवं उनके शोषण के करणो पर विस्तृत चर्चा कर संकल्प पारित किया गया।

महिलाए मानव विकास संकेतको द्वारा मापी गई शैक्षणिक उपलब्धियों आर्थिक प्रदर्शन एवं स्वस्थ प्रास्थिति मे अन्तर के साथ चिन्हित है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति (दलित) से सम्बन्धित महिलाओं के मामले में भारतीय समाज मे अनुसूचित जाति की महिला एक सजातीय श्रेणी नही है। शिक्षा समग्र समाज की प्रगति एवं विकास के लिए बुनियादी एवं मूलभूत आवश्यकता है। यदि कोई समाज विकसित तथा सभ्य है। तो निश्चित है कि उस समाज के सभी वर्ग के स्त्री सुशिक्षित एवं सुसंस्कृति होगी। क्योंकि एक स्त्री का अपने परिवार और समाज के प्रति बहुत योगदान होता है। और यही कारण है कि यदि नारी शिक्षित होगी तभी अपने परिवार और समाज को शिक्षित और सभ्य बनाने में मदद करेगी किसी भी समाज के विकास मे महिलाओ के शिक्षा का अवलोकन करना आवश्यक है। महिलायें किसी भी समाज की लगभग आधी

आबादी है। इसके बावजूद भी समाज के सभी वर्ग महिलायें जितनी तरक्की करनी चाहिए उतनी तरक्की नहीं कर पायीं है।

हमारे समाज मे पुरूष और स्त्री के महत्व स्थान और रूतबे मे काफी अन्तर रहा है। सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक पारिवारिक आदि सभी स्तरो पर औरत को पुरूषो से हीन अथवा दुर्बल समझा जाता रहा है। और यह सोच महिलाओं के प्रति समाज के व्यवहार में भी झलकती है।

वैदिक काल मे भारतीय नारी पुरूषो के समान शिक्षा प्राप्त करती थी। महिलाएं शिक्षा को अत्यधिक प्राथमिकता देती थी और अधिक शिक्षा ग्राहण करती थी। ब्राह्मण कन्याओं को वैदिक ऋषिओं की शिक्षा प्रदान की जाती थी और क्षत्रिय कन्याओ को युद्ध आदि तकनीकी से परिपुर्ण अर्थात तीर कमान की शिक्षा दी जाती थी।

अर्थववेद मे यह बात स्पष्ट की गई है कि केवल उस लडकी का विवाह सफल होता है। जिस कन्या को छात्रावास मे उचित प्रशिक्षण दिया गया हो।

वैदिक काल मे मैती,गार्गी, लोपा, मुद्रा आदि विख्यात नारियो के नाम सर्वोपरि है।

ये नारी सशक्तिकरण का एक उचित उदाहरण है। जो कि विभिन्नी शस्त्रो का गहन ज्ञान अर्जित किया करती थी। शास्तार्थ की चुनौती दी थी। तथा उसे अपने प्रश्नो से चकित कर दिया था। महिला सशक्तिकरण का एक और उदाहरण मदन मिश्र और शंकराचार्य मे हुए शास्तर्थ मदन मिश्र की पत्नी भरती ने निर्णायक की भूमिका का निर्वहन किया। महाभारत मे युधिष्ठिर ने द्रोपदी को दाव पर लगाया था तो उस दाव को कानूनी आधार पर चुनौती दी थी। एवं उस सभा मे कोई भी ऐसा व्यक्ति नही था जो उनके प्रश्नो का उत्तर दे सके। वह इतिहास के सबसे बडी घटना के तौर पर आज भी याद किया जाता है। सती सावित्री ने भी अपने बौद्धिकता से अपने पति को यमराज के हाथो से छुडा लायी थी।

यह सत्य है कि हमारे समाज मे पुरूष और स्त्री मे काफी अन्तर रहा है। सामाजिक, संस्कृतिक, आर्थिक,पारिवारिक आदि सभी स्तरो पर औरत को पुरूषो से हीन तथा दुर्बल समझा जाता रहा है। और यह सोच महिलाओ के प्रति समाज के व्यवहार मे भी झलकती है। बाबा सहेब अम्बेडकर ने भी दलित अनुसूचित जाति की महिलाओं के शिक्षा मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अनुसूचित जाति की महिलाओं के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। अपनी शिक्षा को बढाते हुए स्कूल मे प्रवेश किया सामाजिक संस्थाओं मे भाग लिया, उनको उच्च स्तर पर लाने के लिए प्रयास किया। गाँव मे भी महिला शिक्षा को बढाने के लिए प्रयास किए जा रहे है। गाँव के स्कूल मे लडकियों के नामांकन संख्या मे वृद्धि हुई है। ग्राम सभा से लेकर संसद तक महिलाओं कि भागीदारी दिन–प्रतिदिन बढती जा रही है। ग्राम पंचायतो में भी आरक्षण की वजह से अनुसूचित जाति की महिलाओं के शैक्षिक अवसर के मार्ग प्रशन्त होते दिखाई दे रहे है। महिला शिक्षा मे पंचायतो की महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायतो मे भागीदारी होने के साथ ही उनमे आत्मनिर्भरता भी बढी है। जब पंचायतो मे उनकी भागीदारी बढी तभी वे हर दिशा मे आगे निकल पाई है। अब तो संसद तक उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति की महिलाओं ने भारत मे राजनीति करके महिला शिक्षा को बढाया है। और शैक्षिक अवसरो की प्राप्ति हेतु प्रयासरत है। इन महिलाओ ने अपने को परखा और परखने के बाद इन्होने अपनी शक्ति की पहचान करते हुए राजनीति मे आई। ये प्रमुख महिलाएं निम्नलिखित है–

सावित्री बाई फुले, रमाबाई अम्बेडकर मायावती, किरण जाटव मीरा देवी आदि अनुसूचित जाति की महिलाए है। जो आज भी अपने शैक्षिक अवसरो के कारण पहचानी जाती है। पंचायतो मे महिलाओ के लिए आरक्षण बढाने के लिए भारतीय संविधान की धारा 243 डी मे संसोधन किया गया और पंचायतो मे सभी श्रेणियो मे महिलाओ की भागीदारी एक तिहाई से बढकर कम से कम 50 प्रतिशत करने के लिए भारतीय संविधान मे एक अधिकारिक संसोधन (110वां संसोधन)

विधेय–2009 के प्रभाव को मंजूरी दी है। इस प्रावधान मे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी गई कुल सीटे अध्यक्षो के कार्यालय और अध्यक्षो की सीटो एवं कार्यालय के लिए लागू होगा। 27 अगस्त 2009 को ग्रामीण स्तर की महिलाओ के लिए महिला आरक्षण कोटा 33 से 50 प्रतिशत प्रस्ताव होने पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओ के लिए भी लागू होगी। योजना आयोग के बारहवीं पंचवर्षीय योजना मे भी महिलाओ के लिए विशेष योजना का प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जाति समूह देश की कुल जनसंख्या की एक चौथाई हिस्सा माना जाता है। शिक्षा के द्वारा ही अनुसूचित जाति की महिलाओ को सश्क्त बनाया जा सकता है। जिससे अनुसूचित जाति की महिलाओं को गरीबी और सामाजिक, आर्थिक, पिछडेपन को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा ही अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्गो की महिलाओ की स्थिति को सुधारा जा सकता है। ज्योतिराव फुले ने निशुक्ल और अनिवार्य शिक्षा के साथ सरकारी नौकरियों में सभी के लिए अनुपातिक आरक्षण प्रतिनिधित्व की माँग की थी। गुरूनानक देव ने शुद्रो(अनुसूचित जाति) के व्यक्तियो को ऊँचा उठाने के लिए अनेक प्रयास किए है। गुरूनानक देव ने शुद्रो को अपना मित्र एवं साथी बना लिय। उन्होने अनुसूचित जाति बच्चो को शिक्षा देने के लिए अनेको प्रयत्न किया एवं अत्यधिक प्रबन्ध किए है। डॉ0 भीम राव अम्बेडकर ने सामाजिक व्यवस्था पर अनेको प्रश्न खडे किए। दलित महिलाओ पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए उन्होने दलित आनदोलन को जुझारू बनाया एवं अपनी जाति की महिलाओ को शिक्षित करने का वीणा उठाया डॉ0 भीम राव अम्बेडकर ने शिक्षा को जीवन का मूल्यवान एवं महत्वपूर्ण साधन बताया तथा उन्होने अनुसूचित जाति की महिलाओ को शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रेरित किया उन्होने अपने त्रिसूलीय शिक्षित बनो नारो मे संगठित रहो, संघर्ष करो, के अछूतो एवं पिछडो को जीवन मे आगे बढाने की प्रेरणा प्रदान की तथा जीवन मे शिक्षा को प्रथम स्थान दिया।

अधुनिक समाज मे अनुसूचित जाति की महिलाओ के लिए शैक्षिक प्रयास–

सन 1991 मे यूनिसेफ कि सहायता से बिहार मे शिक्षा परियोजना शुरू कि गयी इसका लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाया और राज्य मे शिक्षा के स्तर मे शुधार लाना था। इसका मुख्य लक्ष्य महिलाओ कमजोर वर्गो एवं पिछडी जाति को शिक्षा प्रदान करना है। ग्रामीण महिलाओ को एक दूसरे से सीखने मौका मिले इसलिए सरकार ने महिला मंण्डल योजना शुरू की है। सरकार ने रिमोस पर्सन की नियुक्ति करती है। जो ग्रामिण महिलाओ को अनेको जानकारी प्रदान करती है।

जैसे– शिशु पालन कनून की शिक्षा महिला सम्बधी अधिकारो की शिक्षा प्रोढ शिक्षा इत्यादि।

अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियो महिलाओं एवं अल्पसंख्यको के उत्पान को नौवी योजना मे रखा गया है। ताकि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियो एवं महिलाओ सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन में भागीदारी या हिस्सेदारी बन सके नौवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओ एवं लडकियों के राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। सरकार की कई योजनाओ के बावजूद भी ग्रामीण महिलाए एवं बालिकायें अशिक्षित है।

ज्योति राव फूले का मानना था की परम्परागत हिन्दू समाज द्वारा अतिशुद्रो,शुद्रो और महिलाओं को शिक्षा के अधिकारो से वंचित कर दिये जाने से वे अज्ञान के अंधकार मे भटकते रहे है। और अज्ञानता के करण ये दोनो वर्ग अपने आस्तित्व को पहचान नही पा रहे है। इसलिए जब तक इन वर्गो को शिक्षा नही दी जाती यह जागृत नही होगें और इनकी जागृति के बिना सामाजिक क्रान्ति नही हो सकेगी। ज्योति राव फूले शिक्षा प्रसार के उपद्देश्य से लगभग अट्ठारह पाठशालायें खोली थी। जिनसे शुद्र वर्ग की महिलायें और छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे है। ज्योति राव फूले चाहते की शुद्र लागो को इस प्रकार कि शिक्षा दी जाये कि वे अपनी सामाजिक समानता और वैयक्तिक स्वातन्त्रता के अधिकारो के प्राति जगरूक हो सके यह तभी सम्भव है। जब वह शिक्षा के कारणो,अच्छा–बुरा क्या है, अपना हित–आहित किसमे है। लोग उद्देश्य

को सामने रखकर शिक्षा ग्राहण कर सके ज्योति राव फूले ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सन्–1848 मे पूना मे लडकियों के लिए एक पाठशाला खोली जो एक भारतीय द्वारा खोली गयी पहली महिला पाठशाला थी। जिसमे बिना किसी भेदभाव के सभी जाति, वर्ग एवं धर्म की महिलाओं/लडकियों की पढने की व्यवस्था की गई थी।

शैक्षिक अवसरो को प्रभवित करने वाले सामाजिक कारक–

भारत की जातिगत व्यवस्था के अन्तरगत ऐतिहासिक रूप से हशियें पर रहने वाल अनुसूचित जाति, समुदाय की महिलाओ को आज भी गंभीर सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड रहा है। संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद भेदभाव,गरीबी,शिक्षा एवं न्याय तक सीमित पहुँच जैसी समस्याएँ बनी हुयी है। संविधान द्वारा समान अधिकारो के बावजूद बाधाएँ बनी रहती है। अनुसूचित जाति की महिलाओं के शैक्षिक अवसरो को प्राभावित करने वाले अनेक समाजिक कारक दृष्टिगत है। जिससे उन्हें शिक्षा से वंचित रहना पडता है। घरेलू काम मे लगाना पडता है। संसाधनो वा अवसरो तक पहुँच नही मिल पाती। भारत मे अनुसूचित जाति(sc) की महिलाओं को शैक्षिक अवसरो की प्राप्ति मे बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना पडता है। ये समस्याएँ सामाजिक आर्थिक और व्यवस्थागत स्तरो पर गहराई जुडी हुई है। अनुसूचित जाति के महिलाओं के शैक्षिक अवसरो को प्राभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है–

1. **जातिगत भेदभाव–**.संवैधानिक प्रतिबंधो के बावजूद ग्रामीण और कुछ शहरी क्षेत्रो मे भी शिक्षण संस्थानो के भीतर सामाजिक भेदभाव पूरी तरह समाप्त नही हुयी है। जो छात्रो के मानव बल को प्रभावित करती है। सदियो से निचले पायदान पर होने के करण उन्हें शिक्षा और सामाज मे दोयम दर्जे का महसूस कराया जाता है। जिससे हीन भावना आती है अनुसूचित जाति की महिलाओं को जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पडता है।

2. **पितृसत्ताव्यक रूढिवादिता–** समाज और परिवार मे बेटो की शिक्षा को प्रथमिकता देना, और बेटियो को पराया धन मानकर उनकी शिक्षा को आवश्यक समझाना एक बडी बाधा है। कई परिवारो मे लडको को की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। और लडकियो को घरेलू काम या छोटे भाई बहनो की देखभाल तक सीमित रखा जाता है। जाति आधारित भेदभाव, पूर्ण व्यवहार , और रूढिवादी परम्पराएँ लडकियो की शिक्षा मे बाधा डालते है।

3. **आर्थिक हाशिए पर होना–** अनुसूचित जातियाँ आर्थिक एवं एतिहासिक रूप से हाशिए पर रही है। जहाँ संसाधनो , शिक्षा और रोजगार के अवसरो तक उनकी पहुचँ सीमित है। गरीबी, भूमि का अवसान वितरण, ऋष एवं बाजारो तक पहुचँ का अभाव उनकी आर्थिक कठिनाइयो मे योगदान करते है।

परिवार की गरीबी के कारण लडकियो को पढाई छोडकर घरेलू काम या मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाता है। जिससे वे स्कूल छोड देती है (ड्राप आउट दर बढ जाती है।) गरीबी और निम्न आर्थिक स्थिति जिससे शिक्षा पर खर्च करना मुसकिल होता है। जिससे रोजगार के अवसरो की कमी और शोषण का सामना करना पडता है। अनुसूचित जाति के अधिकांश परिवार आर्थिक रूप से पिछडे है।, पर्दी , किताबो, और परिवाहन का खर्च उठाना उनके लिए कठिन होता है। जिससे लडकियो की शिक्षा बीच मे छूट जाती है। आर्थिक तंगी के कारण किशोरियो को माता–पिता के साथ खेती के कार्या मे हाथ बटाना पडता है।

4. **लैंगिक भेदभाव–** दलित महिलाए उच्च जाति कि महिलाओं की तरह ही लैंगिक भेदभाव की समान समस्याओं का सामना करती है। लेकिन अनुसूचित जाति की महिलाओं को कुछ विशिष्ट समस्याओं का भी सामना करना पडता है। अनुसूचित जाति की महिलाए सबसे अधिक प्रभवित होती हैं। जाति, वर्ग और लिंग इन तीनो प्रकार के उत्पीडन का शिकार होती है। ये समस्याए अत्यन्त निम्न साक्षारता और शिक्षा स्तर , दीहाडी मजदूरी पर अत्याध्कि निर्भरता, रोंजगार और वेतन मे भेदभाव, अकुशल , कम वेतन वाले और खतरनाक शरीरिक श्रम वाले कमो मे अत्याधिक व्यवस्त्ता हिंसा

और यौन शोषण , विभिन्न प्रकार के अन्धविश्वासो (जैसे–देवदासी प्रथा) का शिकार होने आदि से सम्बान्धित है। लडकियो को लडको के बराबर शिक्षा नही दी जाती, खासकर अनुसूचित जाति (SC) समुदाय की महिलाओं को जहाँ परम्पराए शिक्षा में बाधक है।

5. अस्पृश्यता की समस्याएँ– अनुसूचित जाति समुदाय के भीतर कई उप–जाति का विभाजन है अनुसूचित जातियो को अपवित्र व्यवसाय करने पडते है। जैसे– मानव मल मूत्र का परिवाहन करना, सफाई करना, जूते बनाना, चमडे का काम, मृत जानवरो को ले जाना आदि अस्पृश्यता की प्रथा के कारण अनुसूचित जाति की महिलओं को निम्नलिखित प्रकार की अश्रमताओं से पीडीत होना पडता है। उन्हें सर्वजनिक स्थानो का उपयोग करने और गाँव के नलकूपो, तलाबो मंदिरो,होटलो,स्कूलो, अस्पतालो, धर्मशालाओं जैसी नागरिक सुविधाओ का लाभ उठाने की अनुमति नही थी आरम्भिक दिनो मे उन्हे कस्बो और गाँवो के बाहरी इलाको मे रहने के लिए मजबूर होना पडता। आज भी वे भौगोलिक रूप से अलग–अलग है। अनुसूचित जाति की महिलाओं के शैक्षिक अवसरो की प्राप्ति के मार्ग मे अस्पृश्यता एक प्रमुख बाधा है।

निष्कर्ष– 'उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि, भारत मे अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना जहाँ जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था एवं सामाजिक श्रेष्ठताओ का बोलबाला हो एक बहुत बडी चुनौति है। अपरिवर्तित सामाजिक मूल्यों के चलते शिक्षा से अनुसूचित जाति के महिलाओ का जुडाव नगण्य जैसा है। अनुसूचित जाति की महिलाओं से शिक्षा मे असमानता का व्यवहार, सामाजिक अस्पृश्यता मानसिक एवं शारीरिक प्रताडना समाज द्वारा किया जाना सर्वविदिक है। सबसे बडी विडम्बना यह है कि ये सारी घटानाएँ जनप्रतिनिधियो , शिक्षको एवं जिम्मेदार लोगो के संज्ञान मे होती हैं।

औपचारिक रूप से अस्पृश्यता की समप्ति एवं उसका किसी भी रूप मे प्रचलन दण्डनीय अपराध घोषीत होने के बावजूद भारतीय समाज मे यह घृणित अमानवीय प्रथा पूरी तरह समाप्त नही हो पायी है। सामाजिक भेंदभाव और आर्थिक मजबूरी मिलकर अनुसूचित जाति की महिलाओ के शैक्षिक अवसरो की प्राप्ति मे बडी बाधाए पैदा करती है जिसके करण वे शैक्षिक अवसरो से वंचित रह जाती है। भले ही संविधान समान अधिकारो की बात कही गयी हो।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. पाठक, आर, पी, (2010) 'आधुनिक भारतीय शिक्षा, समस्याएँ एवं समाधान' कनिष्का पब्लिशर्स , डिस्ट्रीवयूटर्स, नई दिल्ली।
2. सिंह कुमार मनोज, (2000) शिक्षा और समाज आदित्या पब्लिशर्स दिल्ली वाल्यूम 1
3. पाठक पी.डी. (2006) भारतीय शिक्षा एवं उनकी समस्याएँ विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा।
4. जैन अरविन्द (2012) औरत होने की सजा राजकमल प्रकाशन नेता जी सुभाष मार्ग दरियागंज नई दिल्ली।
5. आर्य भारती स्मृति म नारी पृ0–16
6. मजुलता (2010) अनुसूचित जाति मे महिला उतपीडन अर्जुन पब्लिकेशन
7. जाडिया डॉ0 सीता (2012) दलित महिला विकास योजना एवं बालिका शिक्षा ओमेगा पब्लिकेशन नई दिल्ली।
8. सोंनी सुमन (2012) वूमेन इन ट्वन्टी वन सेंचुरी नेहा पब्लिकेशन राजभर नई दिल्ली।

9. जगडन्ड पी.जी. (2013) दलित वूमेन इण्डिया ज्ञान पब्लिकेशन अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली।

10 .कुमार अरूण (2015) आधुनिक शिक्षा एवं दलित रावत पब्लिकेशन जवाहर नगर जयपुर।

11. जज परम जीत एस (2014) डुबड्र्स सोशियोलॉजी ऑफ दलित सेज पब्लिकेशन मथुरा रोड नई दिल्ली।

Cite this Article:

रजनी सिंह प्रो0 संदीप कुमार श्रीवास्तव, "अनुसूचित जाति की महिलाओं के शैक्षिक अवसरो को प्रभावित करने वाले समाजिक कारक" The Research Dialogue, Open Access Peer-reviewed & Refereed Journal, Pp-330–336, Volume-05, Issue-01, April-2026, https://theresearchdialogue.com/

This is an Open cess Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

रजनी सिंह[1], प्रो0 संदीप कुमार श्रीवास्तव[2]

For publication of Research Paper title

अनुसूचित जाति की महिलाओं के शैक्षिक अवसरो को प्रभावित करने वाले समाजिक कारक

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-05, Issue-01, Month April, Year-2026, Impact Factor (RPRI-4.73)

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor- In-chief

Dr. Neeraj Yadav
Executive-In-Chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://theresearchdialogue.com/

DOI : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i1.39